

18/10/2024

पत्रावली सीगह से लख होकर पैरा हुई। वादी एवं इसके अधिवला ने अपरिष्कृत होकर कार्यना पत्र प्रस्तुत कर वाह प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं पाए है। वाह प्रकरण को विज्ञो की अनुमति नहीं गडि है। वादी एवं अधिवला को सुना गया। वादी एवं इसके अधिवला द्वारा प्रस्तुत किमे प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है। तथा वाह प्रकरण को विज्ञो की अनुमति प्रदान की जाती है। तथा वादी द्वारा वाह पत्र विज्ञो कर लेने से वाह पत्र में कार्यवाही इसी स्तर पर स्थापित की जाती है। पत्रावली केवल शुभा होकर लख से कम है।

जागह (2)
जगदीश
श्री (1/1)

उपखण्ड अधिकारी
इंगला

